

दिनांक-4.11.13 को जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में हुई विधि-व्यवस्था की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :- सर्वप्रथम बताया गया कि दीपावली के अवसर पर पकड़ीदयाल अनुमंडल के तीन स्थानों चोरमा, पकड़ीदयाल बाजार एवं मधुबन बाजार में मूर्ति बैठाया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पकड़ीदयाल को निदेश दिया गया कि उक्त मूर्तियों का विर्सजन ससमय करवाना सुनिश्चित करें।

(2) छठ पर्व-2013 के अवसर पर संवेदनशील स्थलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पकड़ीदयाल अनुमंडल में अहिवरण छपरा, अरेराज अनुमंडल में इब्राहिमपुर, संग्रामपुर, सिकरहना अनुमंडल में मेसौदा, बड़ा चौद मोहन, गबंद्री, छटवा घाट, रक्सौल अनुमंडल में छटिया घाट, नागा रोड, कोइरिया टोला, बंगरी नदी, मूर्तिया नहर, खैरबा, गोनाही एवं सदर अनुमंडल में हनुमानगढ़ी, धर्मसमाज पोखर एवं श्रीपुर को संवेदनशील स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया।

उक्त सभी संवेदनशील स्थानों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को उक्त संवेदनशील स्थलों पर कड़ी निगरानी रखने का निदेश दिया गया।

(3) अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरेराज को इब्राहिमपुर में तथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल को गोनाही में कैम्प करने का निदेश दिया गया। साथ ही, मुहर्रम पर्व के अवसर पर पुलिस बल को ठहरने के लिए राजकीय उत्कर्मित मध्य विद्यालय, गोनाही में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल को निदेश दिया गया।

(4) बैठक में बताया गया कि छठ पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। अतः संवेदनशील स्थलों पर माईक, वीडियोग्राफर, रोशनी एवं गोताखोर की व्यवस्था करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया।

(5) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी को निदेश दिया गया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यकतानुसार ड्रॉप गेट एवं बैरिकेडिंग करवाने का निदेश दिया गया।

(6) मुहर्रम पर्व-2013 के अवसर पर संवेदनशील स्थानों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पकड़ीदयाल अनुमंडल में महम्मदपुर, लाही कब्रिस्तान, जितौरा, अरेराज अनुमंडल में संग्रामपुर, सिकरहना अनुमंडल में बड़हरवा, महुआई मुर्शिदाबाद, पचपकड़ी बाजार, रक्सौल अनुमंडल में जैतापुर, बेला, आमोदेई, अहिरौलिया, गोनाही, पकड़िया, बरियारपुर, लतियाही, माई स्थान, खोड़ा, मनसिंघा, मजुराहॉ, अजगरवा, जानपुल चौक, बनिया पट्टी, खोदानगर, मुर्दाचक, चकिया अनुमंडल में गोछी कुशहर, केसरियाडीह, रमडीहा एवं सिसवा सोव को संवेदनशील स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया।

उक्त सभी संवेदनशील स्थानों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को उक्त संवेदनशील स्थलों पर कड़ी निगरानी रखने का निदेश दिया गया।

(7) मुहर्रम पर्व के अवसर पर आसूचनाओं का संग्रह करते हुए सभी संवेदनशील स्थानों पर वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करने के पूर्व उन्हें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर देंगे।

(2)

- (8) आपराधिक/असमाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा-107 के तहत कार्रवाई करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।
- (9) पर्व के अवसर पर उग्रवादी/माओवादी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सभी संवेदनशील स्थलों पर सी०आर०पी०एफ० एवं एस०एस०बी० का मूवमेंट कराने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया।
- (10) श्री सोमेश्वरनाथ मंदिर, अरेराज में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सी०सी०टी०भी० कैमरा एवं मेटल डिटेक्टर लगाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरेराज को दिया गया।
- (11) पर्व के अवसर पर सभी पदाधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या- 2107/गो० मोतिहारी, दिनांक- 12 वीं नवम्बर, 2013
प्रतिलिपि-पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मोतिहारी/रक्सौल/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी थानाध्यक्ष, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।